न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :— 132/2009

शीर्षक

1. बाबूलाल दत्तक पुत्र स्व0 श्री भरता उम्र 57 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी छारसा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
2. चांद पुत्री भरता पत्नी स्व0 रामनाथ उम्र व्यस्क जाति ब्राह्मण निवासी छारसा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.) (नाम हजफ किया गया)

वादीगण

बनाम

1. संज्या बेवा नरसी उम्र व्यस्क निवासी छारसा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
2. पवित्रा पुत्री नरसी पत्नी अशोक उम्र व्यस्क निवासी छारसा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
4. उपपंजीयक शाहपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी

निर्णय दिनांक 03.02.2023

वाद संख्या :— 42/2021

शीर्षक

1. बाबूलाल दत्तक पुत्र स्व0 श्री भरता उर्फ भरथा उम्र 57 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी छारसा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
2. नितेश कुमार दतक पुत्र स्व0 चांद देवी पुत्री स्व0 श्री भरता उर्फ भरथा पत्नी स्व0 रामनाथ उम्र 30 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी छारसा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

वादीगण

बनाम

1. पवित्रा पुत्री नरसी पत्नी अशोक उम्र व्यस्क निवासी छारसा, तह0 शाहपुरा हाल निवासी कल्याण जी मंदिर के पास कलवानियों का मौहल्ला बस्सी तह. बस्सी, जिला जयपुर, (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
3. नायब तहसीलदार एवं उपपंजीयक मनोहरपुर तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीएक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री जितेन्द्र पलसानिया अधिवक्ता प्रार्थीयागण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री मदनलाल जाट अभिभाषक अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 03.02.2023

1. उपर्युक्त उनवानी संक्षिप्त वादों में प्रार्थीया/प्रतिवादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी में वर्णित तथ्यों एवं वाद पत्रों की विषयवस्तु व तथ्यों के तथा पक्षकारान के समान होने की वजह से अभयपक्षों की सहमति से इकजाई रूप से वकुलायफरीकेन की बहस सुनी जाकर प्रकरणों का एक ही निर्णय से निस्तारण किया जाना उचित समझा गया।

2. उपर्युक्त उनवानी सक्षिप्त वादो में प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से हस्तगत वादपत्र आराजी मुतनाजा के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा , बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का झुठे व बेबुनियादी तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसको प्रस्तुत करने का उन्हे कोई अधिकार नहीं होने से दावा खारिज किये जाने योग्य है।

3. अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपने आपको दतक पुत्र होना बताकर अपनी खातेदारी आराजी मुतनाजा में क्लेम की है किन्तु कोई रजिस्टर्ड गोदनामा का रजिस्टर्ड बसीयतनामा या माननीय सिविल न्यायालय से कोई उतराधिकारी प्रमाण पत्र लेकर प्रस्तुत नहीं किया गया है जो न्यायहित में आवश्यक है। प्रस्तुत वाद के तथ्य दीवानी प्रकृति के है जिस कारण हस्तगत वाद में कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है इस कारण दावा काबिके खारिज योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

4. यह कि उक्त विवादस्पद आराजी पर अप्रार्थीगण/वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है, उनका किसी भी प्रकार का कोई खातेदार अधिकार व आधिपत्य नहीं है इसलिए उक्त दावा राजस्व प्रकरण का मामला ही न्यायलय हाजा के चलाने योग्य नहीं है। अप्रार्थी/वादी बाबूलाल का जन्म ही उनके पूर्वज मरहूम भरता के जीवनकाल में नहीं हुआ था। झूंठे व गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थीया प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि जबरन हडप करने की मंशा से वह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई का अधिकार मान्य राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। इस कारण दावा विधि द्वारा बाधित होने से मान्य न्यायालय दावा के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से दावा खारिज किये जाने योग्य है अतः अप्रार्थीगण वादीगण का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को गलत होना बताकर अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का अभिकथन किया ।

5. बहस वकुलाये फरीकेन सुनी गयी विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपने आपको मरहुम पूर्व खातेदारों के दत्तक पुत्र बनकर प्रस्तुत किया है जो बे बुनियाद एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित है। वादीगण पूर्वज भरता के मरने के बाद पैदा हुआ इस कारण धारा 88 आरटी एक्ट के तहत उसके कोई खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होने वह वाद पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीगण /वादीगण की ओर से उनके दतक पुत्र होने के संबंध में कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया है तथा ना ही मान्य सक्षम सिविल न्यायालय से जारी जायज वारिस उतराधिकारी होने का कोई प्रमाण पत्र पेश किया गया है तथा ना ही आराजी मुतनाजा पर उनका कभी कोई काश्त रह है ऐसी स्थिति में हस्तगत वाद विधि से वर्जित होने की वजह से घोषणा योग्य नहीं है। अतः उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र खारिज फरमाया जावे अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2009 (1) पेज 646 एवं धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत किये ।

6. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनो का खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के स्वीकार किये जाने के लिए 7 विचारणीय बिन्दु बने है। हस्तगत वाद के तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है जिसमें वाद कारण उत्पन्न होने का स्पष्ट उल्लेख है। अप्रार्थी/वादी बाबूलाल उनके पूर्वज भरता के जीवनकाल में ही पैदा हुआ था। वादपत्र के जिमन न 3 में वर्णित पूर्व खातेदार मरहूम भरता के सजरा से स्पष्ट साबित है। वादपत्र पूर्णतया सत्य तथ्यो पर आधारित कर प्रस्तुत किया गया है जिसे सुनने व तय करने का मान्य न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013 (3) DNJ राज0 पेज 1219, 2014 (1) DNJ राज0 पेज 62, 2011 (2) DNJ राज0 पेज 730 व 2012 (3) DNJ राज0 पेज 1407 में प्रतिवादित सिंद्धान्तो की ओर हमरा ध्यान आकृर्षित किया ।

7. हमने उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गोर किया तथा प्रश्नगत प्रकरण में उद्धृत न्यायिक दृष्टांतो एवं प्रकरण के तथ्यों का गहन्ता से अध्ययन कर विचार किया आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र को नामन्जूर करने के लिए निम्नांकित बिन्दू विचारणीय है–

1. जहा वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।
2. जहा दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय से नियत किया है, ऐसा करने के असफल रहता है।
3. जहां दावकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है ओर वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।
4.जहां वाद पत्र के के कथन से प्रतीत होता है व वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
5. जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।
6.जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों की अनुपालना के असफल रहता है।

8. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में स्पष्ट प्रावधान है कि वादपत्र को पढने मात्र से ही यह परिभाषित होना चाहिए कि वाद किसी विधि से बाधित है। अथवा कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं किया है। प्रश्नगत वाद में अप्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा के द्वारा अपने आपको पूर्व सहखातेदारन का दतक पुत्र होना जाहिर करते हुए जायज वारिसान एवं उतराधिकारी होने के आधार पर उनके सह हिस्से की खातदेरी आराजी मुतनाजा में धारा 88 आरटीएक्ट के अन्तर्गत क्लेम की है। इस सन्दर्भ मे अप्रार्थीगण/वादीगण एवं उनके अधिवक्ता का यह भी कहना है कि प्रार्थीयागण/प्रतिवादीगण के द्वारा उनके पूर्वजो के नाम दर्ज सहखातदेरी का विरास्त का नामान्तरकरण स्वीकार करवाकर अप्रार्थीगण/वादीगण के हिस्से की भूमि भी अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत रूप से अपने नाम

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

दर्ज करवाली जिसकी धारा 88 आरटीएक्ट के तहत खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

9. प्रथमत तो कानून का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक मूल विरासत के नामान्तरकरण पर स्वीकृति के आदेश को चुनौति नहीं दी जाती है सन्दर्भ को स्वीकार करने से कोई अपोदय परिणाम प्राप्त नही होगा। स्पष्ट है कि यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्राथीगण प्रतिवादीगण के नाम उनके मरहूम सहखातदेारी की भूमि विरासत के नामान्तरकण के जरिये राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई हैं ऐसी स्थिति मे प्रथम शुलभ उपचार विरासत के नामान्तरकरण के स्वीकार होने के आदेश के विरूद्ध अपील सक्षम न्यायालय मे चाराजोही कर प्राथीयागण/प्रतिवादीगण के नाम दर्ज विरासत के नामान्तरकरण को अपास्त करवाकर अप्रार्थीगण/ वादीगण अपना पक्ष प्रस्तुत कर अपने नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए स्वतन्त्र थे। इसके बावजूद भी उनके द्वारा खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु उक्त प्रश्नगत वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जो पोषणीय नहीं है।

10. द्वितीयत – अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से अपने आपको दतक पुत्र होना बताते हुए अपने पूर्वजो के फुलस्टेप पर खातदेारी घोषणा का उक्त हस्तगत वाद धारा 88 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है लेकिन दतक पुत्र होने के संबंध में कोई दस्तावेजी रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है तथा ना ही पूर्व मरहूम सहखातेदारों के जायज वारिसान एवं उतराधिकारी होने के सबध में सक्षम सिविल न्यायालय से जारी प्रमाण पत्र आदि ही प्रस्तुत किया गया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारी की घोषणा किये जाने हेतु दावे (1) कोई व्यक्ति जो आसामी या संयुक्त आसामी है, इसकी घोषणा करवाने के लिए कि वह आसामी है या उक्त संयुक्त काश्तकारी में अपने हिस्से की घोषणा करवाने के लिए दावा दायर कर सकता है (2) खुद काश्त का आसामी इस बात की घोषणा के लिए दावा कर सकता है कि वह खुद काश्त का आसामी हे। (3) शिकमी आसामी ऐसे व्यक्ति पर जिससे लेकर वह भूमि धारण करता है यह घोषणा करवाने के लिए दावा दायर कर सकता है कि वह शिकमी आसामी है। (4) राज्य सरकार के अलावा कोई भूमिधारी ऐसे व्यक्ति पर जो किसी भूमि क्षेत्र का आसामी या संयुक्त आसामी या खुदकाश्त का आसामी अथवा सिकमी आसामी होने का दावा करता है उसके अधिकार की घोषणा के लिए दावा कर सकता हैं उक्त प्रावधानों के अनुसारण में अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा उक्त प्रश्नगत वाद प्रस्तुत नहीं किये गये है। इस कारण उक्त हस्तगत वाद विधि से वर्जित होना प्रकट होते है।

11. अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से न्यायलय हाजा में अपने आपको अपने पूर्वजो के दतक पुत्र होना जाहिर करते हुए धारा 88 आरटीएक्ट के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु उक्त प्रश्नगत वाद प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु अपने आपको दतक पुत्र होने एवं मरहूम पूर्व सहखातेदारों के जायज वारिसान या उतराधिकारी होना विवादित है। इस संबंध में कोई दस्तावेजी रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जहा तक दतक पुत्र होने एवं जायज वारिसान या उतराधिकारी होने की अवधारणा का प्रश्न है, इस संबंधी विवादों को तय करने एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों में निहित न होकर मान्य सिविल न्यायालय का क्षैत्राधिकार है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया/प्रतिवादीया द्वारा उद्वत न्यायिक दृष्टान्त आरआर टी 2009 (1) पेज 647 में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53 व 186 सिविल प्रकिया संहिता 1908 आदेश 7 नियम 11 घोषणा व विभाजन हेतु वाद उच्च न्यायलय ने डी को जी का गोदपुत्र होना नहीं माना पोषणीय नहीं होने से वाद खारिज करने हेतु आवेदन पेश किया वाद खारिज किया ।

हस्तगत मामले में उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त पूर्णरूप से घस्पा होते है। अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर भी उक्त प्रश्नगत खातदेारी अधिकारों की घोषणा के वाद केवल मात्र जुबानी अभिकथनों के आधार पर अपने आपको दतक पुत्र होना जाहिर करते हुए प्रस्तुत किये गये हैं जिसकी पुष्टि में कोई दस्तावेजी रिकार्ड पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। ऐसी अवस्था में अपने आपको दतक पुत्रान होना या जायज वारिसान व उतराधिकारी सिद्ध करवाये बिना अप्रार्थीगण/वादीगण अपने हक में खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाये जाने के अधिकारी नहीं है। इस कारण विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांतो में प्रतिपादित सिद्धांतो में वर्णित तथ्य भिन्न होने से हस्तगत प्रकरण में घस्पा नही होते है। इससे स्पष्ट जाहिर होती है कि प्रश्नगत वाद सिविल प्रकृति के है जिनको सुनने व तय करने का क्षेत्राधिकार मान्य सिविल न्यायालय में निहित होने से विधि से बाधित होने के कारण उक्त वाद न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार से बाहर होने की वजह से पोषणीय नही है।

12 अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपने वादों में विनाय दावा पेदा होने का उल्लेख अवश्यक किया है लेकिन उनके द्वारा न्यायलय हाजा में उक्त वाद प्रस्तुत करने की अधिकारित नहीं होने तथा पोषणीय नही होने के कारण इसका कोई आश्य नही होने से उनका कोई वाद कारण उत्पन्न होना प्रकट होता है।

13. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से हस्तगत वादो में न्यायलय हाजा को सुनवाई व तय करने का क्षत्राधिकार नही होने एवं वाद विधि से बाधित होने तथा विनाय दावा उत्पन्न नही होना सिद्ध होता है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

14. फलत– प्रार्थीया/प्रतिवादीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी के स्वीकार कर अप्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 के खण्ड क एवं घ के अनुसरण में नामन्जूर कर खारिज किये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना अपना बहन करे। निर्णय की प्रति दोनो वाद पत्रावली के संलग्न रहे।

15. निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

ठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
ाद संख्या :– 132/2009

शीर्षक

1. बाबूलाल दत्तक पुत्र स्व0 श्री भरता उम्र 57 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी छारसा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
2. चांद पुत्री भरता पत्नी स्व0 रामनाथ उम्र व्यस्क जाति ब्राह्मण निवासी छारसा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.) (नाम हजफ किया गया)

वादीगण

बनाम

1. संज्या बेवा नरसी उम्र व्यस्क निवासी छारसा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
2. पवित्रा पुत्री नरसी पत्नी अशोक उम्र व्यस्क निवासी छारसा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
4. उपपंजीयक शाहपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी

निर्णय दिनांक 03.02.2023

वाद संख्या :– 42/2021

शीर्षक

1. बाबूलाल दत्तक पुत्र स्व0 श्री भरता उर्फ भरथा उम्र 57 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी छारसा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
2. नितेश कुमार दतक पुत्र स्व0 चांद देवी पुत्री स्व0 श्री भरता उर्फ भरथा पत्नी स्व0 रामनाथ उम्र 30 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी छारसा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

वादीगण

बनाम

1. पवित्रा पुत्री नरसी पत्नी अशोक उम्र व्यस्क निवासी छारसा, तह0 शाहपुरा हाल निवासी कल्याण जी मंदिर के पास कलवानियों का मौहल्ला बस्सी तह. बस्सी, जिला जयपुर, (राज)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
3. नायब तहसीलदार एवं उपपंजीयक मनोहरपुर तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीएक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री जितेन्द्र पलसानिया अधिवक्ता प्रार्थीयागण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री मदनलाल जाट अभिभाषक अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से

निर्णय

निर्णय दिनांक 03.02.2023

फलत– प्रार्थीया/प्रतिवादीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी के स्वीकार कर अप्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 के खण्ड क एवं घ के अनुसरण में नामन्जूर कर खारिज किये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना अपना बहन करे। निर्णय की प्रति दोनो वाद पत्रावली के संलग्न रहे।निर्णय आज दिनांक 3/2/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	